842646
7.7.15

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्र. एफ 27(50)ग्रावि/अभि./मो.लक्ष्य/ग्रुप–5/2015–16 जयपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषय :–आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में जन–प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के क्रम में।

इन्दिरा योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश जून, 2013 के अध्याय 7 में ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख है।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आवास योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी यथा वर्षवार, वर्गवार लक्ष्य, स्वीकृतियां, देय अनुदान एवं समय–समय पर जारी निर्देशों व आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों की जानकारी पंचातयराज के जन–प्रतिनिधियों व स्थानीय माननीय सांसद महोदय व माननीय विधायक महोदयों को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जावें।

यहा विशेष उल्लेख है कि पूर्व के वर्षों में जारी आवास स्वीकृतियों व वर्तमान में आवास की स्थिति की सूचना भी माननीय जन–प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जावें ताकि प्रदेश में अपूर्ण चल रहे आवासों को पूर्ण कराने में इनसे सहयोग लिया जा सकें।

1.7.15
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान–जयपुर।
2. माननीय सांसद, लोकसभा व राज्यसभा समस्त राजस्थान।
3. माननीय विधायक समस्त राजस्थान।
4. माननीय जिला प्रमुख जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. माननीय प्रधान, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान–जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
8. जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, मो. एवं मू., को बेव–साईट पर अपलोड कराने के लिए।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)